

प्रेषक,

डा० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक 25 मई, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 तथा आपके पत्र संख्या-439/सू.एवंलो.स.वि.(लेखा)/बजट आवंटन/2018-19 दिनांक 18 मई, 2018 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2220- सूचना तथा प्रसार 01-फिल्म-105-फिल्मों का निर्माण-06-फिल्म परिषद की स्थापना-00 की मानक मद-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 2.00 करोड (रूपये दो करोड मात्र) के सापेक्ष ₹ 50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न अलॉटमेंट आई.डी के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। धनराशि व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- किसी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम) शासनादेशों तथा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- धनराशि को उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय, यदि कोई धनराशि शेष रहती है, तो उसका समर्पण प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2019 से पूर्व कर दिया जाय।

6- उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में निहित दिशानिर्देशों के क्रम में जारी की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,


(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

पृ०संख्या- 305 (1)/XXII/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार/वित्तीय डाटा सेन्टर, लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
- 8- गार्ड फाइल।

Har

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
संयुक्त सचिव।